



एलआईसी की जीवन प्रगति पॉलिसी (लाभ सहित)
LIC'S JEEVAN PRAGATI POLICY (with profit)

(जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 द्वारा संस्थापित)
(Established by the Life Insurance Corporation Act, 1956)



भाग - अ / PART - A

भारतीय जीवन बीमा निगम को (जिसे यहां बाद में "निगम" कहा गया है) यहां नीचे संदर्भित अनुसूची में उल्लिखित प्रस्तावक तथा बीमित व्यक्ति से प्रस्ताव तथा घोषणापत्र और पहले प्रीमियम की प्राप्ति हुई है और उक्त प्रस्ताव तथा घोषणा पत्र पर, उसमें निहित तथा उल्लिखित वक्तव्यों सहित, उक्त प्रस्तावक और निगम के बीच इस बीमे के आधार के रूप में सहमति हो गयी है। अतः निगम इस पॉलिसी द्वारा करार करता है कि अनुसूची में निर्धारित पर्वती प्रीमियमों की विधिवत प्राप्ति होने पर उसके प्रतिफल स्वरूप बीमा राशि का भुगतान बिना किसी ब्याज के, निगम और निगम के शाखा कार्यालय में, जहां इस पॉलिसी के लिए सेवा उपलब्ध कराई जाती है, उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को जिन्हें वह उक्त अनुसूची की शर्तों के अनुसार देय हो, निगम को इस बात का संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत करने पर करेगा कि अनुसूची के शर्तों के अनुसार हितलाभ देय हो गए हैं और उसका दावा करने वाला/वाले उक्त व्यक्ति उसके हकदार है और प्रस्ताव पत्र में उल्लिखित बीमित व्यक्ति की आयु सही है यदि पहले से स्वीकृत न हो। और एतद्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि यह पॉलिसी इसके पृष्ठ पर अंकित परिभाषाओं, हितलाभों, सेवा प्रदान करने से संबंधित शर्तों, अन्य नियमों और शर्तों तथा वैधानिक प्रावधानों और निम्नलिखित अनुसूची तथा निगम द्वारा लगाए गए प्रत्येक पृष्ठांकन जिसे पॉलिसी का अंग माना जाएगा, के विषयाधीन होगी।

THE LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (hereinafter called "the Corporation") having received a Proposal along with Declaration and the first premium from the Proposer and the Life Assured named in the Schedule referred to herein below and the said Proposal and Declaration with the statements contained and referred to therein having been agreed to by the said Proposer and the Corporation as basis of this assurance do by this Policy agree, in consideration of and subject to the due receipt of the subsequent premiums as set out in the Schedule, to pay the Benefits, but without interest, at the Branch Office of the Corporation where this Policy is serviced to the person or persons to whom the same is payable in terms of the said Schedule, on proof to the satisfaction of the Corporation of the Benefits having become payable as set out in this Policy Document, of the title of the said person or persons claiming payment and of the correctness of the age of the Life Assured stated in the Proposal if not previously admitted. And it is hereby declared that this Policy of Assurance shall be subject to the Definitions, Benefits, Conditions Related To Servicing Aspects, Other Terms And Conditions and Statutory Provisions printed on the back hereof and that the following Schedule and every endorsement placed on the Policy by the Corporation shall be deemed part of the Policy.

मण्डल कार्यालय / DIVISIONAL OFFICE:	तालिका / SCHEDULE	शाखा कार्यालय / BRANCH OFFICE:
पॉलिसी सं.: Policy No.:	दुर्घटनात्मक मृत्यु तथा अपंगता हितलाभ राइडर बीमा राशि (₹): Accidental Death and Disability Benefit Rider Sum Assured (₹):	प्रीमियम की देय तिथि: Due date of premium:
पॉलिसी आरम्भ की तिथि: Date of Commencement of Policy:	मूल पॉलिसी के लिए प्रीमियम की किस्त (₹): Instalment Premium for Base Policy (₹):	प्रीमियम के भुगतान की विधि: Mode of payment of premium:
जोखिम आरम्भ की तिथि: Date of Commencement of Risk:	दुर्घटनात्मक मृत्यु तथा अपंगता हितलाभ राइडर प्रीमियम (₹): Accidental Death and Disability Benefit Rider Premium (₹):	मूल पॉलिसी के लिए अंतिम प्रीमियम की देय तिथि: Due Date of Payment of Last premium for Base Policy:
प्लान तथा पॉलिसी की अवधि: Plan & Policy Term:	कुल प्रीमियम की किस्त (₹): Total Instalment Premium (₹):	बीमित व्यक्ति की जन्म तिथि: Date of birth of the Life Assured:
परिपक्वता तिथि: Date of Maturity:	(सेवा कर तथा/या समय-समय पर लागू अन्य कर अतिरिक्त लिए जाएंगे) (Service tax and / or any other Tax as applicable from time to time is charged extra.)	बीमित व्यक्ति की उम्र: Age of the Life Assured:
मूल बीमा राशि (₹): Basic Sum Assured (₹):		क्या उम्र स्वीकृत है? Whether age Admitted?

नोट: भाग स (हितलाभ) की शर्त 4 के तहत एलआईसी के अपघाती मृत्यु आणि अपंगता हितलाभ राइडर की शर्तें सिर्फ तभी लागू होंगी जब उपर उल्लेखित राइडर का चुनाव किया गया हो।
Note: Conditions of the LIC's Accidental Death and Disability Benefit Rider mentioned under condition no. 4 of Part C (Benefits) shall only apply if this rider has been opted for.

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39 के अंतर्गत नामित व्यक्ति का नाम / Name of Nominee under Section 39 of the Insurance Act, 1938:
यदि नामित अवयस्क है, तो नियुक्त व्यक्ति का नाम: / If nominee is a minor, name of the Appointee:

प्रस्ताव सं.: / Proposal No.:	प्रस्ताव की तिथि: / Date of Proposal:	पॉलिसी जारी करने की तिथि: / Date of issuance of policy:	हितलाभ चित्रण संदर्भ सं.: / Benefit Illustration Reference No.:
प्रस्तावक का नाम और पता: / Name and address of Proposer:		बीमित व्यक्ति का नाम और पता: / Name and address of Life Assured:	

लाभार्थी, हितलाभ जिसे देय है Beneficiary to whom Benefits payable	बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39 के अंतर्गत प्रस्तावक या बीमित व्यक्ति या उसके समनुदेशित को या बीमा अधिनियम 1938 की धारा 39 के अंतर्गत नामितों या प्रमाणित निष्पादकों या प्रशासकों या अन्य वैधानिक प्रतिनिधियों को जिन्होंने उसकी सम्पदा या इस पॉलिसी के अंतर्गत देय राशि मात्र के लिए भारत संघ के किसी राज्य या संघ शासित प्रदेश के किसी न्यायालय, जो भी लागू हो, से अपने प्रतिनिधि होने का प्रमाणपत्र प्राप्त किया होगा। The proposer or the Life Assured or his Assignee under Section 38 of Insurance Act, 1938 or Nominees under Section 39 of Insurance Act, 1938 or proved Executors or Administrators or other Legal Representatives who should take out representation to his/ her Estate or limited to the moneys payable under this Policy from any Court of any State or Territory of the Union of India, as applicable.
प्रीमियम देयता की अवधि Period during which premiums payable	अंतिम प्रीमियम के भुगतान की विनिर्दिष्ट देय तिथि या बीमित व्यक्ति के उससे पूर्व मृत्यु होने तक Till the stipulated due date of payment of last premium or earlier death of the Life Assured.
प्रीमियम देयता की तिथियां Dates when premium payable	विनिर्दिष्ट देय तिथि को On the stipulated due date in

निगम के लिए उपरोक्त शाखा कार्यालय पर हस्ताक्षरित, जिसका पता अंतिम पृष्ठ पर दिया गया है तथा जिस पर पॉलिसी से संबंधित सभी पत्राचार भेजे जाने चाहिए।
Signed on behalf of the Corporation at the above mentioned Branch Office, whose address is given on the last page and to which all communications relating to the policy should be addressed.

दिनांक / Date:
जांचकर्ता / Examined by:
फॉर्म नं. / Form No.:

एजेन्सी कोड Agency Code	एजेंट का नाम Agent Name	एजेंट का मोबाइल नंबर/लैंडलाइन नंबर Agent's Mobile Number/Landline Number



नोट: अगर आपकी कोई शिकायत/समस्या, हो तो आप शिकायत समाधान अधिकारी/लोकपाल से सम्पर्क पर सकते हैं, जिनका पता नीचे दिया गया है:
NOTE: In case you have any Complaints/Grievance, you may approach Grievance Redressal Officer/ Ombudsman, whose address is as under:

शाखा कार्यालय का पता: / Address of Branch Office:

शिकायत समाधान अधिकारी का पता:
Address of Grievance Redressal Officer:

बीमा लोकपाल का पता:
Address of Insurance Ombudsman:

नोट: इन नियमों तथा शर्तों और विशेष प्रावधानों/शर्तों की व्याख्या में कोई विवाद होने पर अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।
Note: In case of dispute in respect of interpretation of these terms and conditions and special provisions/conditions the English version shall stand valid.

आपसे अनुरोध है कि इस पॉलिसी की जांच कर लें तथा इसमें कोई त्रुटि पाए जाने पर उसे सुधार के लिए तुरन्त हमें लौटाएं

YOU ARE REQUESTED TO EXAMINE THIS POLICY, AND IF ANY MISTAKE BE FOUND THEREIN, RETURN IT IMMEDIATELY FOR CORRECTION.

आई आर डी ए आई पंजीकरण संख्या : 512
IRDAI Regn. No.: 512

भाग-ब: परिभाषाएं

पॉलिसी दस्तावेज में प्रयुक्त शब्दों/शब्दावली की परिभाषाएं निम्नानुसार हैं:

- उम्र** का अर्थ पॉलिसी के आरंभ होते समय बीमित व्यक्ति के नजदीकी जन्मदिन पर उम्र से है सिवाय 12 वर्ष की उम्र के लिए, जहां उम्र पूर्ण वर्षों में है।
- नियुक्त-व्यक्ति (एगॉइन्टी)** वह व्यक्ति है जिसे पॉलिसी के अंतर्गत सुरक्षित राशि/हितलाभ के भुगतान की तिथि को नामित के नाबालिग होने तथा उसे दावे की राशि देय होने पर वह आमदनी/हितलाभ देय होती है।
- वार्षिकीकृत प्रीमियम** एक पॉलिसी वर्ष में कुल देय प्रीमियम राशि है जो कि बीमालेखन संबंधी निर्णयों तथा राइडर प्रीमियमों, अगर कोई हो के कारण ली जानेवाली किसी अतिरिक्त राशि को छोड़कर है।
- समानुदेशिती** वह व्यक्ति है जिसे समनुदेशन के फलस्वरूप पॉलिसी के अधिकार तथा हितलाभ हस्तांतरित किए जाते हैं।
- समनुदेशन** समय-समय पर यथा संशोधित बीमा अधिनियम 1938 की धारा 38 के अंतर्गत "समानुदेशिती" के पक्ष में पॉलिसी के अधिकारों तथा हितलाभों के स्थानान्तरित होने की प्रक्रिया है।
- मूल पॉलिसी** पॉलिसी का वह भाग है जिसमें मूल हितलाभ का उल्लेख किया गया हो (इस पॉलिसी दस्तावेज में राइडर के अंतर्गत संरक्षित हितलाभों यदि चुना गया हो, को छोड़कर, अन्य हितलाभ)
- लाभार्थी** का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो इस पॉलिसी के अंतर्गत हितलाभों को प्राप्त करने का पात्र है। लाभार्थी, प्रस्तावक या बीमित व्यक्ति या उसका समानुदेशिती या नामित व्यक्ति या प्रमाणित निष्पादक या प्रशासक या कोई अन्य वैधानिक प्रतिनिधि, जैसी भी स्थिति हो, हो सकता है।
- निगम** का अर्थ एलआईसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम से है।
- पॉलिसी के आरंभ होने की तिथि** का अर्थ इस पॉलिसी के प्रारम्भ होने की तिथि है।
- जोखिम के आरंभ होने की तिथि** वह तिथि है जब निगम बीमा हेतु जोखिम (संरक्षण) को स्वीकार कर लेता है जैसा कि पॉलिसी अनुसूची में दर्शित है।
- पॉलिसी जारी करने की तिथि** वह तिथि है जब किसी प्रस्ताव को बीमा लेखन के बाद पॉलिसी के रूप में स्वीकार किया जाता है और करार हो जाता है।
- परिपक्वता की तिथि** का अर्थ वह निश्चित तिथि है जब हितलाभ पूर्णतः या आकस्मिक रूप से देय होता है।
- निहित होने की तिथि** वह तिथि जब से पॉलिसी के हितलाभ पाने के लिए बीमित व्यक्ति हकदार होता है जैसा कि इस पॉलिसी दस्तावेज के भाग स की शर्त 3 में विनिर्दिष्ट है।
- मृत्यु पर मिलने वाली राशि** का अर्थ संविदा के आरंभ के समय सहमत हितलाभ से है, जो कि इस पॉलिसी दस्तावेज के "भाग स" की शर्त 1 में विनिर्धारित बीमित व्यक्ति की मृत्यु की दशा में देय है।
- डिस्चार्ज फॉर्म** पॉलिसीधारक/दावेदार द्वारा पॉलिसी के अंतर्गत परिपक्वता/अभ्यर्पण/मृत्यु पर प्राप्त होने वाले हितलाभ का दावा करने के लिए भरा जाने वाला फॉर्म है।
- देय तिथि** का अर्थ वो तिथि है जब पॉलिसी प्रीमियम देय है तथा पॉलिसीधारक द्वारा भुगतान योग्य हो।
- पृष्ठांकन** से अर्थ निगम द्वारा किन्हीं सहमत या जारी संशोधनों या आशोधनों को इस पॉलिसी में शामिल करने के लिए संलग्न/जोड़ी गई शर्तों से है।
- अंतिम अतिरिक्त बोनस**, जिसे टर्मिनल (समाप्ति) बोनस भी कहा जाता है, वह अतिरिक्त राशि है जिसके पॉलिसी की समाप्ति पर हितलाभों के साथ देय है, यदि लागू हो तो।
- पूर्व समाप्ति** एक क्रिया है, जिसे बकाया ऋण या ऋण पर ब्याज को देय तिथि पर न जमा किये जाने पर पॉलिसी को पूर्व समाप्त कर दिया जाता है।
- मुफ्त लुक अवधि** पॉलिसी दस्तावेज की प्राप्ति से 15 दिनों की अवधि, इस पॉलिसी के नियमों तथा शर्तों की समीक्षा करने के लिए है, और अगर पॉलिसीधारक उन नियमों तथा शर्तों में से किसी से असहमत हो, तो उसके पास इस पॉलिसी को लौटाने का विकल्प है।
- रियायती अवधि** यह प्रीमियम की देय तिथि से बीमाकर्ता द्वारा दिया गया भुगतान हेतु वह समय है जिसके दौरान बिना किसी जुर्माने/विलम्ब शुल्क के प्रीमियम का भुगतान किया जा सकता है तथा पॉलिसी शर्तों के अनुसार जोखिम संरक्षण बिना किसी व्यवधान के प्रभावी रहेगा।
- गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य** पॉलिसी के अभ्यर्पण किए जाने पर पॉलिसीधारक को अदा किए जाने वाले अभ्यर्पण मूल्य की न्यूनतम गारंटीड राशि है।
- पूर्णतः प्रभावी** का अर्थ यह है कि पॉलिसी के अंतर्गत सभी देय प्रीमियम का देय तिथि से पहले या रियायती अवधि में भुगतान कर दिया गया है।
- आईआरडीएआई** का अर्थ है इंश्योरेन्स रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेन्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पहले इसे इंश्योरेन्स रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेन्ट अथॉरिटी (आईआरडीए) कहा जाता था।
- कालातीत (लैप्स)** पॉलिसी की वह दशा है जब रियायती अवधि के दौरान देय प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है।
- बीमित व्यक्ति** वह व्यक्ति है जिसके जीवन पर बीमा संरक्षण लिया गया है।
- ऋण** निगम द्वारा पॉलिसीधारक को पॉलिसी पर देय अभ्यर्पण मूल्य पर प्रदान की गयी ब्याजयुक्त लौटायी जाने वाली राशि है।
- परिपक्वता हितलाभ** का अर्थ वह हितलाभ है जो कि परिपक्वता अर्थात् इस पॉलिसी दस्तावेज के भाग स की शर्त 2 पर उल्लिखित पॉलिसी अवधि की समाप्ति पर देय है, अगर बीमित व्यक्ति पॉलिसी की परिपक्वता की तिथि तक जीवित रहता है।

PART – B: DEFINITIONS

The definitions of terms/words used in the Policy Document are as under:

- Age** is the age nearest birthday of the Life Assured at the time of commencement of the policy except for age 12 years for which the age is in completed years.
- Appointee** is the person to whom the proceeds/benefits secured under the Policy are payable if the benefit becomes payable to the nominee and nominee is minor as on the date of claim payment.
- Annualized Premium** is the total amount of premium payable in a policy year excluding extra amount if charged under the policy due to underwriting decisions and rider premium, if any.
- Assignee** is the person to whom the rights and benefits are transferred by virtue of an Assignment.
- Assignment** is the process of transferring the rights and benefits to an "Assignee". Assignment should be in accordance with the provisions of Section 38 of Insurance Act, 1938 as amended from time to time.
- Base Policy** is that part of the Policy referring to basic benefit (benefits referred to in this Policy Document excluding benefits covered under Rider(s), if opted for).
- Beneficiary** means the person who is entitled to receive benefits under this Policy. The Beneficiary may be proposer or Life Assured or his Assignee or Nominees or proved Executors or Administrators or other Legal Representatives as the case may be.
- Corporation** means the Life Insurance Corporation of India established under Section 3 of the LIC Act, 1956.
- Date of commencement of policy** is the start date of this Policy.
- Date of commencement of risk** is the date on which the Corporation accepts the risk for insurance (cover) as evidenced in the schedule of the policy.
- Date of issuance of policy** is a date when a proposal after underwriting is accepted as a policy and this contract gets effected.
- Date of Maturity** means a fixed date on which benefit may become payable either absolutely or contingently.
- Date of vesting** is the date from which the Life Assured becomes entitled to the policy benefits as specified in Condition 3 of Part C of this Policy Document.
- Death Benefit** means the benefit, agreed at the inception of the contract, which is payable on death of Life Assured as specified in Condition 1 of Part C of this Policy document.
- Discharge form** is the form to be filled by policyholder/claimant to claim the maturity / surrender / death benefit under the policy.
- Due Date** means a fixed date on which the policy premium is due and payable by the policyholder.
- Endorsement** means conditions attached/ affixed to this Policy incorporating any amendments or modifications agreed to or issued by the Corporation.
- Final Additional Bonus**, also called as Terminal Bonus, is an additional amount payable along with the benefits on termination of the policy, if applicable.
- Foreclosure** is an action of closing the policy due to default in payment of outstanding loan and/or loan interest on due date.
- Free Look Period** is the period of 15 days from the date of receipt of the Policy Document by the Policyholder to review the terms and conditions of this policy and where the Policyholder disagrees to any of those terms and conditions, he/ she has the option to return this policy.
- Grace period** is the time granted by the insurer from the due date for the payment of premium, without any penalty/ late fee, during which time the policy is considered to be inforce with the insurance cover without any interruption as per the terms of the policy.
- Guaranteed Surrender Value** is the minimum guaranteed amount of Surrender Value payable to the policyholder on surrender of the policy.
- Inforce** means all due premiums have been paid on or before the due date or within the grace period.
- IRDAI** means Insurance Regulatory and Development Authority of India earlier called as Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA).
- Lapse** is the status of the Policy when due premium is not paid within the grace period.
- Life Assured** is the person on whose life the insurance cover has been accepted.
- Loan** is the interest bearing repayable amount granted by the Corporation against the surrender value payable to the policyholder.
- Maturity Benefit** means the benefit, which is payable on maturity i.e. at the end of the policy term as specified in Condition 2 of Part

